जेल लोक अदालत, उपकारागार हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

फौजदारी वाद संख्या–1527 / 2021

कम्प्यूटर संख्या–465 / 2021

राज्य प्रति आकाश सिंह राणा

धारा–379,411 भारतीय दण्ड़ संहिता,1860

एफ0आई0आर0 न0–305 / 2021

थाना–सितारगंज

दिनांक 16.02.2022

पत्रावली जेल लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त आकाश सिंह राणा की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्त स्वेच्छा से जुर्म इकबाल स्वीकार करता है। उसके द्वारा कम–से–कम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी। अभियुक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के परिणाम से अवगत कराया गया। अभियुक्त द्वारा पुनः कथन किया गया कि वह स्वेच्छा से बिना किसी दबाब में अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है। अतः अभियुक्त के बयान जुर्म स्वीकार अंकित किये गये।

अभियुक्त पर दिनांक 14.09.2021 को दोपहर 03:30 बजे ग्राम बमनपुरी तहसील सितारगंज जिला उधम सिंह नगर मैन चौराहे पर स्थित चाय की दुकान के बाहर से वादी मुकदमा मो0 वसीम की मोटरसाइकिल हीरो स्पलेंडर प्लस मॉडल 2020 रजि0 संख्या यू0के0 06 ।ल 9813 को चोरी करने तथा दिनांक 17.09.2021 को उक्त मोटरसाइकिल को समय लगभग 12:50 बजे स्थान बमनपुरी, शक्तिफार्म थाना सितारगंज जिला उधम सिंह नगर पर पुलिस द्वारा आपके कब्जे से उक्त मोटरसाइकिल बरामद किये जाने का आरोप है। पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अभियुक्त के जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की ध ाारा 379,411 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न के सम्बंध में सुना गया। अभियुक्त का कथन है कि वह अत्यन्त गरीब व्यक्ति है। उसके द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी। चूंकि अभियुक्त द्वारा जेल लोक अदालत में जुर्म स्वीकार किया गया है, अतः सजा के स्तर पर अभियुक्त के साथ उदारता बरता जाना न्यायोचित है। अभियुक्त की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न प्रकार दण्डादेश पारित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त आकाश सिंह राणा को भारतीय दण्ड़ संहिता,1860 की धारा–411 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 06 माह की अवधि के साधारण कारावास से व मुव0–1,000 / रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त को भारतीय दण्ड़ संहिता,1860 की धारा 379, के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए 06 माह की अवधि के साधारण कारावास से व मुव0–1,000/ रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दोषसिद्ध को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। दोषसिद्ध द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा मे समायोजित की जायेगी। दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट बनाया जाये। पत्रावली नियमाानुसार दाखिल दफतर हो।

(प्रतीक मथेला)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
सितारगंज जिला उधम सिंह नगर।